आगामी त्यौहार को मध्य नजर रखते हुए सीएलजी मीटिंग का आयोजनः केकड़ी मे डीजे पिकअप पर सम्पूर्ण रूप से पाबन्दी

पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा एवं केकड़ी शहर थाना अधिकारी कुसुम लता मीणा ने ली बैठक

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 12 मार्च (दीपांकुर चौहान)। केकड़ी शहर पुलिस थाने में आगामी होली, धुलंडी और रंगपंचमी सहित अन्य त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा और केकड़ी शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा की। बैठक में सीएलजी सदस्यों सहित विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया। जिलेभर में डीजे पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा, खासकर पिकअप वाहन पर लगे डीजे पूरी तरह वर्जित रहेंगे। शहर में जहां-जहां कैमरे नहीं लगे हैं, वहां पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए

नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा विशेष नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और नियमों का पालन करने की अपील की है। त्योहारों के दौरान संभावित अराजकता और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की ताकि सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकें। इस बैठक में नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, भाजपा शहर अध्यक्ष रितेश जैन, महेश बोयत, राजवीर हावा, मनोज कुमावत, मोहम्मद सईद नकवी, धनराज कच्छावा, हीराचंद खूटेंटा, नवीन सोनी, रोहित जांगिड़, विष्णु साहू, अनिल राठी , जितेंद्र बोयत,खुशपाल गुर्जर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कन्या महाविद्यालय में हुई जागरूक महिला, सुरक्षित महिला विषय पर कार्यशाला

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चौमूं, 12 मार्च (का.सं.)। मोरीजा रोड़ स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमूं में राष्ट्रीय सेवा योजना, महिला प्रकोष्ठ एवं छात्रा सुरक्षा समिति के संयुक्त तत्त्वावधान में जागरूक महिला, सुरक्षित महिला विषय पर कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. कविता गौतम की अध्यक्षता में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ।

अध्यक्षीय उद्बोधन में कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. गौतम ने विविध प्रेरणीय उदाहरणों द्वारा छात्राओं से जागरूक, सशक्त एवं सुरक्षित रहते हुए वैयक्तिक उन्नति के साथ राष्ट्रीय उन्नति के लिए वाहक बनने हेतु आह्वान किया। कार्यशाला के प्रथम सत्र में राज्य महिला नीति की संयोजक डॉ. माधुरी गोस्वामी ने जागरूक महिला, सुरक्षित महिला के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए सभी छात्राओं को सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। द्वितीय सत्र में छात्रा सुरक्षा समिति की संयोजक डॉ. हंसा लुनायच ने महिलाओं की वैयक्तिक जागरूकता को महिला सुरक्षा का आधार स्तम्भ बताते हुए सभी छात्राओं को जागरूकतापूर्ण जीवन जीने की बात कही।

तृतीय सत्र में महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. दीपाली जैन ने छात्राओं को महिला सुरक्षा के विषय में समझाते हुए राजस्थान पुलिस के राजकॉप एप के महत्त्व एवं इसके उपयोग की जानकारी दी। कार्यशाला में उपस्थित छात्राओं ने भी अपनी विचाराभिव्यक्ति की। मंच संचालन एनएसएस प्रभारी भगवान सहाय शर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन एनएसएस प्रभारी डॉ. चन्द्र मोहन राजोरिया ने किया।

टेक्नो होली रंगोत्सवः रंग, त्यौहार और शानदार जीत का दमदार जश्न

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

नई दिल्ली, 12 मार्च (वेब वार्ता)। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि जश्न, अपनापन और खुशियों का मौका भी है। इस बार टेक्नो, जो अपनी इनोवेशन और बेहतरीन सिग्नल कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है, इस त्यौहार को रंगोत्सव के साथ और भी खास बना रहा है, जहाँ खूब धमाल होगा, मस्ती होगी और ढेर सारे सरप्राइज़ेस भी।

त्यौहार की खुशियों को दुगना करने के लिए टेक्नो ग्राहकों को शानदार इनाम जीतने का सुनहरा मौका दे रहा है। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च, 2025 के बीच जो भी ग्राहक नजदीकी रिटेल स्टोर से कोई भी टेक्नो स्मार्टफोन खरीदेंगे, उन्हें सिर्फ एक क्यूआरकोड स्कैन करके और अपनी डिटेल सबमिट करके लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते है और खास बात यह है कि 24 खुशकिस्मत विजेताओं को नया स्कूटर, गोल्ड वाउचर और लेटेस्ट टेक्नो स्मार्टफोन जीतने का मौका भी मिलेगा। लकी ड्रॉ का रिजल्ट 4 अप्रैल, 2025 को घोषित किया जाएगा, तो हो जाए तैयार जश्न के लिए।

होली का जश्न सिर्फ ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है। टेक्नो अपने रिटेल पार्टनर्स के सहयोग और विश्वास की कद्र करता है और इसलिए त्यौहार की खुशी उनके साथ भी बाँट रहा है। टेक्नो की ग्रोथ में उनके योगदान उनके भरोसे और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए, ब्रांड ने खासतौर पर रिटेल पार्टनर्स के लिए भी लकी ड्रॉ का आयोजन किया है, जहाँ उन्हें खास तोहफे जीतने का मौका मिलेगा। टेक्नो हमेशा से अपने रिटेल नेटवर्क को अहमियत देता आया है और भारतीय संस्कृति से जुड़ी ऐसी पहल के माध्यम से इन रिश्तों को और मजबूत करता रहता है।

लेकिन, मज़ा यहीं खत्म नहीं होता। टेक्नो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी होली का रंग जमाए रखेगा, जहाँ ढेरों सरप्राइज़ेस और कॉन्टेस्ट की झलकियाँ मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए और इस खास मौके को मिस न करें। रंगों का त्यौहार खुशियाँ, इनाम और ढेर सारी मस्ती लेकर आया है, क्योंकि टेक्नो रंगोत्सव इसे और भी खास बनाने के लिए तैयार है।

वरिष्ठजन समाज के प्रेरणा स्त्रोत है- प्रदीप शर्मा

सर्व ब्राह्मण वरिष्ठजन सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

चौमूं, 12 मार्च (का.सं.)। सर्व ब्राह्मण महासभा जयपुर देहात के तत्वाधान में 23 मार्च 2025 को सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावड़ी मोड, गोपीनाथ बावड़ी पर आयोजित होने वाले सर्व ब्राह्मण होली स्नेह मिलन एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन चोमू थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा ने किया, इस अवसर पर थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ जन समाज की रीढ़ है एवं समाज के प्रेरणा स्त्रोत है, ,जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि वरिष्ठजन जीवन के अनुभव एवं शिक्षा से हम सब का मार्गदर्शन करते हैं वरिष्ठ जनों का सम्मान समाज की नैतिक जिम्मेदारी है, जिला कोषाध्यक्ष गजानंद शर्मा ने बताया कि सम्मान समारोह में कालाडेरा मंडल के 70 वर्ष से अधिक आयु के समाज बंधुओ का अभिनंदन किया जाएगा।

चिराना के मेगा फ्री मेडिकल शिविर में 1280 रोगी लाभान्वित

उदयपुरवाटी। निकटवर्ती चिराना ग्राम स्थित मांगीलाल धर्मशाला में मेगा फ्री मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया। आयोजक राजवीर सिंह शेखावत ने बताया कि स्व. नत्थूसिंह शेखावत की द्वितीय पुण्यतिथि पर लगे चिकित्सा शिविर में 1280 रोगी लाभान्वित हुए।

अश्विनीदास महाराज लोहार्गल, योगीदास महाराज गोल्याना, हेमंतदास महाराज बाय के सान्निध्य में आयोजित शिविर में पूर्व मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा, पूर्व सरपंच भूदरमल सैनी, पूर्व सीएमएचओ डॉ. मुरलीधर सेठी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विनोद पारीक, डॉ. अरुण शर्मा, भवानी सिंह राठौड़ आदि बतौर अतिथि मौजूद थे। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने कहा कि ऐसे चिकित्सा शिविरों से अंतिम छोर पर गांव-ढाणी में रहने वालों को घर के पास स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है।

गौवंश की सेवा के साथ रंगीलो फागणियो का अनूठा आयोजन किया

झुंझुनूं, 12 मार्च। शेखावाटी में होली की मस्ती की छटा निराली ही होती है। इसको लेकर भाजपा नेता महेश बसावतिया ने बताया कि चंग व धमाल के साथ फागणिये की मस्ती में लोग सरोकार रहते हैं।

परंतु गौवंश की सेवा के साथ चंग व धमाल का मिश्रण हो और उसमें मातृ शक्ति का ही योगदान हो तो आयोजन अविस्मरणीय बन जाता है। समाजसेवी व शिक्षाविद् डॉ. भावना शर्मा के नेतृत्व में मातृशक्ति ने यह अनूठा आयोजन किया। झुंझुनूं नंदीशाला में नंदियों को भोग लगाकर होली की मस्ती में सरोकार हो गई। इस अवसर पर सपना राणासरिया, निर्मला ढंढारिया, प्रमोद टीबड़ा, सुशील शास्त्री, नीरजा मोदी, संतोष जालान श्री राणी सती दादी महिला मंडल की अध्यक्ष, सुनिता पंसारी मंत्री, मंजू झुंझुनूंवाला कोषाध्यक्ष व अनिता सैनी गोपी सत्संग मंडल टीम, संतोष बसावतिया झुंझुनूं, प्रतिभा शर्मा अलसीसर आदि की गरिमामय उपस्थिति रही।

बीकानेर-साईनगर शिर्डी साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा के मार्ग के कुछ स्टेशनों पर संचालन समय में परिवर्तन

जयपुर, 12 मार्च (का.सं.)। रेलवे द्वारा सुगम संचालन हेतु बीकानेर-साईनगर शिर्डी साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा के मार्ग में बीकानेर-जयपुर के मध्य के स्टेशनों पर संचालन समय में परिवर्तन किया जा रहा है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 04715, बीकानेर-साईनगर शिर्डी साप्ताहिक स्पेशल दिनांक 22.03.25 से बीकानेर से प्रत्येक शनिवार को 12.10 बजे के स्थान पर 13.30 बजे रवाना होकर रविवार को 19.00 बजे साईनगर शिर्डी पहुँचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में श्रीडूंगरगढ स्टेशन पर परिवर्तित समय 14.20 बजे आगमन व 14.22 बजे प्रस्थान, राजलदेसर स्टेशन पर परिवर्तित समय 14.55 बजे आगमन व 14.57 बजे प्रस्थान, रतनगढ स्टेशन पर परिवर्तित समय 15.07 बजे आगमन व 15.10 बजे प्रस्थान, चूरू स्टेशन पर परिवर्तित समय 16.25 बजे आगमन व 16.35 बजे प्रस्थान, फतेहपुर शेखावाटी स्टेशन पर परिवर्तित समय 17.13 बजे आगमन व 17.15 बजे प्रस्थान, लक्ष्मणगढ स्टेशन पर परिवर्तित समय 17.31 बजे आगमन व 17.33 बजे प्रस्थान, सीकर स्टेशन पर परिवर्तित समय 18.00 बजे आगमन व 18.05 बजे प्रस्थान, रींगस स्टेशन पर परिवर्तित समय 18.57 बजे आगमन व 19.00 बजे प्रस्थान व ढेहर का बालाजी स्टेशन पर परिवर्तित समय 19.37 बजे आगमन व 19.40 बजे प्रस्थान करेगी।

ग्लेनमार्क न्यूट्रिशन अवॉर्ड्स 2025: भारत में कुपोषण के खिलाफ नवाचार, प्रभाव और स्थिरता का जश्न

ग्लेनमार्क फाउंडेशन ने आईडीओबीआरओ, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया और इंपैक्ट4न्यूट्रिशन के साथ साझेदारी में किया इस कार्यक्रम का आयोजन

22 राज्यों के 168 जिलों से कुल 403 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिसने राष्ट्रीय पोषण संकेतकों में सुधार लाने वाली महत्वपूर्ण और नवाचारी पहलों को किया उजागर

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 12 मार्च (का.सं.)। ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शाखा, ग्लेनमार्क फाउंडेशन ने ग्लेनमार्क न्यूट्रिशन अवॉर्ड्स के 5वें संस्करण का सफल समापन किया। यह कार्यक्रम हमारे प्रक्रिया साझेदार आईडीओबीआरओ, स्थिरता साझेदार यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया और ईको-सिस्टम साझेदार इंपैक्ट4न्यूट्रिशन के सहयोग से आयोजित किया गया। यह पहल कुपोषण के खिलाफ नवाचार, प्रभाव और स्थिरता के प्रति ग्लेनमार्क की प्रतिबद्धता को मजबूत करने का माध्यम रही। इस वर्ष पुरस्कारों को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें देशभर के 22 राज्यों के 168 जिलों से कुल 403 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं।

सम्मानित जूरी की अध्यक्षता डॉ. राजू जोतकर, एमडी, वरिष्ठ सलाहकार, माता-बाल स्वास्थ्य और पोषण मिशन,

महाराष्ट्र सरकार; सोनाली मुखर्जी, एसबीसी विशेषज्ञ, मुंबई इंडिया कंट्री ऑफिस; और डॉ. वीणा यार्डी, एमएससी, एमफिल, पीएचडी (फूड्स, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स), एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ होम साइंस, निर्मला निकेतन ने की। चयन प्रक्रिया के दौरान इन विशेषज्ञों ने पोषण जागरूकता को लेकर अमूल्य सुझाव दिए।

ग्लेनमार्क न्यूट्रिशन अवॉर्ड्स 2025 के विजेता

इस अवसर पर शेरिल पिंटो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर- कॉर्पोरेट सर्विसेस, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, ने कहा, ग्लेनमार्क फाउंडेशन में, हमारा विश्वास है कि स्वस्थ बच्चे ही एक स्वस्थ दुनिया की नींव रखते हैं। पोषण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता समाज के दीर्घकालिक कल्याण की हमारी सोच को दर्शाती है। इस साल की प्रविष्टियों में न सिर्फ पोषण को बेहतर बनाने की योजनाएँ थीं, बल्कि टिकाऊ और स्थायी समाधान भी देखने को मिले। हमारे विजेताओं ने दिखाया कि सही सोच, इनोवेशन और योजना के साथ हम कुपोषण को हरा सकते हैं। हमारा सपना एक ऐसा भविष्य है, जहाँ हर बच्चा अच्छा पोषण पाए और हर समुदाय खुशहाल और सुरक्षित रहे। डॉ. रश्मि सारस्वत, डायरेक्टर, महावीर इंटरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट, जयपुर ने कहा, महावीर इंटरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट में हमारा मानना है कि सच्ची सेवा समाज को सँवारती है और कई लोगों के जीवन को बेहतर बनाती है। यह पुरस्कार न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े प्रयासों की पहचान है, बल्कि हमें जरूरतमंद परिवारों तक और भी बेहतर तरीके से पहुँचने की ताकत भी देता है।

होली पर्व पर आगरा कैंट-असारवा-आगरा कैंट त्रि-साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन

जयपुर, 12 मार्च (का.सं.)। रेलवे द्वारा होली पर्व पर यात्रियो की सुविधा हेतु आगरा कैंट-असारवा-आगरा कैंट त्रि-साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 04169, आगरा कैंट - असारवा त्रि-साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 15.03.25 से 31.03.25 तक (08 ट्रिप) आगरा कैंट से सोमवार, बुधवार व शनिवार को 13.30 बजे रवाना होकर मंगलवार, गुरूवार व रविवार को 05.45 बजे असारवा पहुँचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 04170, असारवा-आगरा कैंट त्रि-साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 16.03.25 से 01.04.25 तक (08 ट्रिप) असारवा से मंगलवार, गुरूवार व रविवार को 09.15 बजे रवाना होकर बुधवार, शुक्रवार व सोमवार को 02.30 बजे आगरा कैंट पहुँचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में फतेहपुर सीकरी, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, केशोरायपाटन, बूंदी, मांडलगढ, चन्देरिया, मावली, उदयपुर सिटी, जावर, डूंगरपुर व हिम्मतनगर स्टेशनो पर ठहराव करेगी।

एनआरडीडी स्पोटर्स मीट 2025 का समापन हुआ

कलेक्टर ने स्टेट टॉपर छात्र मोहित को लेपटॉप देकर किया पुरस्कृत

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

झुंझुनूं, 12 मार्च। नौरंगराम दयानंद ढूकिया शिक्षण संस्थान की वार्षिक स्पोटर्स मीट 2025 का समापन समारोह को सौहार्द के बीच खुबसूरती से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रामावतार मीणा, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारीलाल सैनी, सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर, असिसटेंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी डॉ. प्रवीण पूनियां, जिला उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जितेंद्र स्वामी, प्राचार्या नीतू न्यौला की उपस्थिति में दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संस्थान निदेशक दयानंद सिंह ढूकिया ने अतिथियों का स्वागत किया। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा छात्र-छात्राओं की छुपी हुई प्रतिभाओं का पता चलता है व नर्सिंग एक ऐसा व्यवसाय है। जो समाज की सेवा का मौका देता है व झुंझुनूं की महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है व नर्सिंग छात्र-छात्राएं हर जिले में सेवाएं प्रदान

कर रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष सैनी ने बताया कि यह झुंझुनूं जिले का सबसे बड़ा नर्सिंग संस्थान है। जिसमें नर्सिंग के अलावा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थान सचिव डॉ. संदीप ढूकिया ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रामावतार मीणा द्वारा मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। एकेडमी डायरेक्टर सुनिता ढूकिया ने बताया कि खेलकूद व सांस्कृतिक साप्ताहिक कार्यक्रम का कैप्टन व अतिथियों के द्वारा मशाल बुझाकर कार्यक्रम का समापन किया गया व सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंजी. प्यारेलाल ढूकिया ने सभी गणमान्य अतिथियों, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सुधीर कुमार ने किया। इस अवसर पर लालचंद ढूकिया, रणजीत ढूकिया, विकास ढूकिया, पीयूष ढूकिया, मधुर ढूकिया, शुभम ढूकिया व समस्त ढूकिया परिवार, मन्वय मांजू, सरपंच रोशन मांजू, संजय जाखड़, प्राचार्य विवेक त्रिपाठी व समस्त स्टाफ व छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

भौतिक कब्जे की सूचना

ICICI Home Finance **पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051**

कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400059

शाखा कार्यालयः प्लॉट नंबर 1, पहली मंजिल, सहयोग भवन, एरोड्रम सर्कल, कोटा - 324007

जबकि

प्रतिभूतिकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे हस्ताक्षरकर्ता आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है। प्रवर्तन) नियम 2002 ने नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया।

चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उक्त अधिनियम नीचे उल्लेखित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम/ ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कब्ज़ा की तिथि	सूचना मांग की तारीख /मांग सूचना राशि (रु.)	शाखा का नाम
				कोटा-बी
1.	मोहम्मद सलीम (उधारकर्ता), रेहाना (सह-उधारकर्ता), LHKOT00001399162.	प्लॉट नं. 27ए न्यू धानमंडी कोटा 324006. सीमाऐं से घिरा हुआ- उत्तरः गोदाम, दक्षिणः सड़क, पूर्वः प्लेटफार्म और दुकान नं. 26ए, पश्चिमः प्लेटफार्म और दुकान नं. 28ए./ कब्जे की तारीख- 08-मार्च-25	13-04-2023 रु. 49,66,731/-	

उपर्युक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों को राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेच दिया जाएगा। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधान।

दिनांकः 13 मार्च 2025, स्थानः कोटा **प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

ICICI Home Finance **कॉर्पोरेट कार्यालयः** आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत

शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, कार्यालय 204, जंक्शन 406, प्लॉट नंबर 406/1बी, टक्का रोड, पनवेल पश्चिम 410206

निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(8) के साथ नियम 9 (1) के साथ पढ़ा जाए।

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईसीआईसीआई एचएफसी) ने नीचे उल्लेखित गिरवी संपत्ति की बिक्री के लिए कई ई-नीलामी आयोजित की, हालांकि, ऐसी सभी ई-नीलामी विफल रही। अब, एक इच्छुक खरीदार ने उक्त संपत्ति को **रुपये 5,00,000** की राशि में खरीदने की पेशकश के साथ आईसीआईसीआई एचएफसी से संपर्क किया है। इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका कब्ज़ा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को यहां नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरणों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा;

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/ कानूनी उत्तराधिकारियों का नाम ऋण खाता संख्या	सुरक्षित का विवरण ज्ञात के साथ संपत्ति रुकावटें, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / अग्रिम जमा धन	सिंपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	नीलामी की तारीख समय	नीलामी तिथि से एक दिन पहले	सरफेसी अवस्था
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)
1.	राजेश कुमार काबरा (उधारकर्ता) स्वाति काबरा (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHBLW00001393185 और LHBLW00001393186	पट्टा संख्या 5 एवं पट्टा संख्या 01, ग्राम पंचायत अरजिया, पंचायत समिति सुवाणा, ग्राम भदाली खेड़ा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में स्थित है।	रु. 14,38,035/- (21 जनवरी 2025 तक)	रु. 5,00,000/- रु. 50,000/-	21 मार्च, 2025 11:00 पूर्वाह्न 03:00 अपराह्न	28 मार्च, 25 02:00 अपराह्न 03:00 अपराह्न	27 मार्च, 25	भौतिक कब्ज़ा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी मेटेक्स नेट प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (यूआरएल लिंक- **https://BidDeal.in**) पर आयोजित की जाएगी। संभावित बोलीदाताओं को बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/ डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। (डीडी) (कॉलम ई देखें) आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय का पता **27 मार्च, 2025 को शाम 04:00 बजे** या उससे पहले लेख के शीर्ष पर उल्लेखित है। संभावित बोलीदाताओं को इसकी एक हस्ताक्षरित प्रति भी जमा करनी होगी। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तें फॉर्म, शाखा कार्यालय का पता **27 मार्च, 2025 को शाम 05:00 बजे** से पहले या उससे पहले लेख के शीर्ष पर उल्लेखित है। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से ''आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी'' के पक्ष में पाली में देय होना चाहिए।

आम जनता से अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित इच्छुक खरीदार द्वारा दी जा रही राशि से अधिक की बोली जमा करें। इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि आईसीआईसीआई एचएफसी द्वारा उपरोक्त इच्छुक खरीदार द्वारा दी जा रही राशि से अधिक की कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो गिरवी रखी गई संपत्ति उक्त इच्छुक खरीदार को नियम 8(8) आर/डब्ल्यू नियम9(1) के अनुसार बेची जाएगी। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002, बिक्री या बोली जमा करने के निरीक्षण, नियमों और शर्तों के संबंध में किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए, कृपया **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** से **9920807300** पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://www.icicihfc.com/** पर जाएं।

दिनांकः 13 मार्च, 2025 **प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

स्थानः राजस्थान **CIN Number:- U65922MH1999PLC120106**

सम्पत्ति के विक्रय हेतु ऑनलाईन ई-नीलामी

kotak Kotak Mahindra Bank **कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांन्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड-400051 शाखा कार्यालयः कोटक महिन्द्रा बैंक लि. प्रथम तल, 232-233 SDC टॉवर, आम्रपाली सर्किल के पास, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर-302021

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) और 8(6) के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

'इंफुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड' (इसके बाद 'एफआईएचएफसीएल' के रूप में संदर्भित) द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के बाद, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (इसके बाद 'केएमबीएल' के रूप में संदर्भित) के अधिकृत अधिकारी ने 09.12.2024 को प्रतिभूत लेनदार को बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (इसके बाद प्रतिभूत परिसंपत्ति कहा जाता है) का भौतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी(ओं) और गारंटर(ओं) और आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ने प्रतिभूत परिसंपत्ति को बेचने का निर्णय लिया है। सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 'जैसा है जहां है', 'जैसा है', और 'जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार **श्री संजीव मित्तल, श्रीमती चंदन जैन (मृतक के बाद), मैसर्स जैन एण्ड कंपनी जरिये इसके प्रोपराईटर श्री संजीव मित्तल एवं श्री मयंक जैन के माध्यम से** द्वारा लिया गया ऋण की वसूली के लिये ऋण खाता संख्या 602607210193259 & 602607510199440; में बकाया **रु. 39,62,527/-** (रूपये उनतालिस लाख बासठ हजार पांच सौ सत्ताईस रुपये मात्र) **दिनांक** 11.03.2025 तक के वसूली के लिये ई-नीलामी की जायेगी।

विशिष्ट (PARTICULARG)	विवरण
नीलामी की दिनांक	22.04.2025
नीलामी का समय	दोपहर 12:00 बजे से 01:00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट की असिमित समयावृद्धि के साथ
आरक्षित मूल्य	रू. 38,00,000/- (रूपये अड़तीस लाख मात्र)
जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	रू. 3,80,000/- (रूपये तीन लाख अस्सी हजार मात्र)
केवाईसी एवं धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम दिनांक	21.04.2025 सांय 06:00 बजे तक (IST)
प्रतिभूत संपत्ति का विवरण	आवासीय संपत्ति के सभी अंश एवं हिस्से जिसमें फ्लैट नं. एफ-1, प्रथम तल, प्लॉट नं. 13 में स्थित है क्षेत्रफल 1300 वर्गफिट सूपर बिल्ट अप कमल विहार, मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जयपुर-302020
ज्ञात प्रभार यदि कोई हो	ज्ञात नही

ऋणियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। विशेष रूप से ऋणियों और आम जनता कृपया ध्यान दें कि यदि किसी भी कारण से यहां निर्धारित नीलामी विफल हो जाती है, तो प्रतिभूत ऋणदाता निजी संधि के माध्यम से बिक्री के माध्यम से प्रतिभूति हित लागू कर सकता है। बिक्री के तहत परिसंपत्तियों के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण/आवश्यकता के मामले में, बोलीदाता **श्री रविन्द्र सिंह गोदारा (+919983999074)** एवं **सुश्री लक्ष्मी चौधरी** (+917412032966) व **श्री अक्षित सोलंकी (+917302111608)** से संपर्क कर सकते हैं। बोलीदाता स्पष्टीकरण के लिए बैंक के आईवीआर नंबर (+91-9152219751) पर भी संपर्क कर सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट यानी **WWW.KOTAK.COM** और/या **HTTP://BANKAUCTIONS.IN/** पर दिए गए लिंक **HTTPS://WWW.KOTAK.COM/EN/BANK-AUCTIONS.HTML** को देखें।

दिनांकः 13.03.2025 स्थानः जयपुर प्राधिकृत अधिकारी कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

सीआईएनः L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालयः - केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई- 600031.

टेलीफोनः +91 44 4564 4000 I फैक्सः +91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]

कब्जे का नोटिस

(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29.04.2023 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता, सह-उधारकर्ताओं और गारंटर **1. दलाराम रेवंता, 2. सरोज देवी को नोटिस में उल्लेखित राशि रुपये 7,20,729.46/- (सात लाख बीस हजार सात सौ उनतीस रुपये और छियालीस पैसे मात्र) को उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर 25.04.2023 तक चुकाने के लिए कहा गया है।**

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, आज **07 मार्च 2025** को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) द्वारा रुपये 7,20,729.46/- (सात लाख बीस हजार सात सौ उनतीस रुपये और छियालीस पैसे मात्र) की राशि और उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

बंधक संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें पट्टा नं. 04, पुस्तक सं. 53, स्थित वार्ड नं. 03, खातियों का बास, गवाई कुआ के पास, गांव- लोरोली कलां, ग्राम पंचायत- लोरोली कलां, पंचायत समिति- डीडवाना, तहसील-डीडवाना, जिला- नागौर, राजस्थान, पिन कोड- 341305, भूमि क्षेत्रफल 333.333 वर्ग गज। आई.ई. 3000 वर्ग फुट, और इसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः रामरख राम का बाड़ा, उत्तरः छत्र राम, दक्षिणः हीराराम रामनिवास

दिनांकः07-03-2025 प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः राजस्थान आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड

ऋण खाता संख्याः64746150 और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)